Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

अभ्यास के रूप में शिक्षा

(Education as a Practice)

B.E.S.C.-134

B.A. General - 4th Semester

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Vaishali Gupta*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878
E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

Content

अभ्यास के रूप में शिक्षा
(Education as a Practice)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1-3

Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved) 1-2

Sample Question Paper–1 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

अभ्यास के रूप में शिक्षा की समझ (Understanding Education as a Practice)

1. अभ्यास के एक क्षेत्र के रूप में शिक्षा 1
(Education as an Area of Practice)

2. शैक्षिक नवाचारों का अभ्यास एवं प्रसार 11
(Practicing and Disseminating Educational Innovations)

3. शोध और अभ्यास का विकास 19
(Practicing Research and Development)

4. शिक्षा तथा नीतियाँ 27
(Education and Policies)

शिक्षा में नवाचारी तथा वैकल्पिक अभ्यास
(Innovative and Alternative Practices in Education)

5. शैक्षिक नवाचार तथा प्रयोग : भारतीय अभ्यास 36
(Educational Innovations and Experiments: Indian Practices)

6. शैक्षिक नवाचार तथा प्रयोग : वैश्विक प्रयास 46
(Educational Innovations and Experiments: Global Practices)

7. मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम और ई–अधिगम 58
(ODL and E-Learning)

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

8. शिक्षा में समावेशी अभ्यास 67
(Inclusive Practices in Education)

अभ्यास के रूप में शैक्षिक शोध (Educational Research as a Practice)

9. शैक्षिक शोध का परिचय 77
(Introduction to Educational Research)

10. शोध की प्रक्रिया 86
(Process of Research)

11. क्रियात्मक शोध 96
(Action Research)

आंकड़े संग्रहण तथा विश्लेषण (Data Collection and Analysis)

12. शिक्षा के विभिन्न अभ्यासों के लिए शोध के निहितार्थ 108
(Implications of Research for Educational Practices)

13. आँकड़े संग्रहण के उपकरण और तकनीकें 116
(Tools and Techniques for Data Collection)

14. आँकड़ों के स्रोत तथा इनका विश्लेषण और व्याख्या 129
(Sources of Data and its Analysis and Interpretation)

15. आँकड़ों का संगठन और आलेखीय निरूपण 138
(Organization and Graphical Representation of Data)

16. मात्रात्मक आँकड़ों का विश्लेषण–I 153
(Analysis of Quantitative Data-I)

17. मात्रात्मक आँकड़ों का विश्लेषण–II 168
(Analysis of Quantitative Data-II)

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

अभ्यास के रूप में शिक्षा

(Education as a Practice)

B.E.S.C.-134

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

***नोट :** प्रत्येक खण्ड में दिए गए निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

खण्ड-क

नोट : इस खण्ड में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. ''शैक्षिक कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए केस अध्ययन (Case Study) एक प्रभावी शोध पद्धति हो सकती है।'' उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-112, प्रश्न 3, पृष्ठ-109, 'शोध विधि के रूप में वृत्त अध्ययन'

प्रश्न 2. दिन-प्रतिदिन की परिस्थिति से एक शोध समस्या की पहचान कीजिए। सर्वेक्षण का अनुसंधान दृष्टिकोण (Survey research approach) का उपयोग करके समस्या का समाधान करने के लिए आप जिन चरणों का पालन करेंगे, उन पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-10, पृष्ठ-89, प्रश्न 1

प्रश्न 3. माध्य (Mean), माध्यिका (Median) तथा बहुलक (Mode) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वितरण का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए–

वर्ग अंतराल (C.I.)	आवृत्ति *(F)*
0-10	6
10-20	11
20-30	9
30-40	4
40-50	10

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-16, पृष्ठ-161, प्रश्न 8

c	*f*	*c.f.*	*x*	*fx*
0–10	6	6	5	30
10–20	11	17	15	165
20–30	9	26	25	225
30–40	4	30	35	140
40–50	10	40	45	450
	40			1010

$$\text{माध्य} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$$

$$= \frac{1010}{40}$$

$$= 25.25$$

$$\text{माध्यिका} = L + \frac{n/2 - B}{G} \times w$$

$$= 20 + \frac{40/2 - 17}{9} \times 10$$

$$= 20 + 3/9 \times 10$$

$$= 20.33$$

$$\text{बहुलक} = (\text{माध्यिका}) - 2\ (\text{माध्य})$$

$$= 3 \times 20.33 - 2\ (25.25)$$

$$= 60.99 - 50.50$$

$$= 10.49$$

$$= 10.5$$

प्रश्न 4. सामान्य प्रायिकता वक्र (Normal Probability Curve) की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा सामान्य प्रायकिता वक्र के गुणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-17, पृष्ठ-173, 'सामान्य संभावित वक्र'

खण्ड-ख

नोट : इस खण्ड से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का है।

प्रश्न 5. दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को शैक्षिक कार्यप्रणालियों में कैसे परिवर्तित किया जाता है? चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अभ्यास में रूपांतरण'

www.neerajbooks.com

प्रश्न 6. लोक जम्बिश परियोजना (Lok Jumbish Pariyojana) तथा एकलव्य शैक्षिक कार्यक्रम (Eklavya Educational Programme) की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-13, 'लोक जुंबिश परियोजना एकलव्य शैक्षिक कार्यक्रम'

प्रश्न 7. शैक्षिक नीतियों की योजना बनाना, क्रियान्वित करना तथा कार्यान्वयन करना, शैक्षिक नीति के निर्माण जितना महत्त्वपूर्ण क्यों है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-33, प्रश्न 3 पृष्ठ-34, प्रश्न 4

प्रश्न 8. HIAL के तीन स्तम्भों तथा लाइव लर्निंग लैब (Live Learning Lab) का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-6, पृष्ठ-47, 'दि हिमालियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग (HIAL)

प्रश्न 9. उपयुक्त उदाहरणों द्वारा मिश्रित अधिगम (Blended Learning) पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-60, 'मिश्रित अधिगम'

प्रश्न 10. सामाजिक समूहों में विद्यमान विविधता के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-8, पृष्ठ-71, प्रश्न 1

प्रश्न 11. शैक्षिक अनुसंधान (Educational Research) के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-77, 'शैक्षिक शोध के प्रयोजन'

खण्ड-ग

नोट : इस खण्ड से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक दीजिए।

प्रश्न 12. क्रियात्मक शोध (Action Research) कक्षा की समस्या का समाधान करने में किस प्रकार मदद करता है?

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-11, पृष्ठ-101, प्रश्न 5

प्रश्न 13. शोध समस्या की पहचान करने के लिए किन चरणों का पालन किया जाना चाहिए?

उत्तर–संदर्भ–देखें-ध्याय-10, पृष्ठ-89, प्रश्न 1

प्रश्न 14. विषमता (Skewness) तथा कुकुदता (Kurtosis) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-17, पृष्ठ-178, प्रश्न 8

प्रश्न 15. प्रतिशतता (Percentile) को परिभाषित कीजिएं प्रतिशत (Percentage) तथा प्रतिशतता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें-अध्याय-16, पृष्ठ-164, प्रश्न 20, प्रश्न 21

■■

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview
of
The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

अभ्यास के रूप में शिक्षा
(Education as a Practice)

अभ्यास के एक क्षेत्र के रूप में शिक्षा
(Education as an Area of Practice)

1

परिचय

शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करना, नए विचारों की खोज करना, पूर्व अनुभवों का पुनरीक्षण करना, मूल्य सीखने की क्षमता, अभिवृत्तियों तथा भविष्य के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें समाज के भविष्य को बदलने की क्षमता है, इसीलिए इसको सामाजिक गतिशीलता का महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में केवल औपचारिक शिक्षा को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसका संबंध व्यक्ति के संपूर्ण विकास से है। शिक्षा एक सापेक्ष, चेतन अथवा अचेतन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक वातावरण सम्बन्धी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी सभी अंगों का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वह परिवर्तन विरोधी तथा रचनात्मक साधनों के द्वारा सच्चा सुख और आनन्द प्राप्त कर सके। संक्षेप में, शिक्षा वातावरण सम्बन्धी सविचार प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव का विकास तथा समाज का कल्याण होना चाहिए।

अध्याय का विहंगावलोकन

दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अभ्यास में रूपांतरण

शिक्षा का अर्थ केवल सीखना या ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार के साथ-साथ एक व्यक्ति के संपूर्ण पोषण का विकास करना है। शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को विभिन्न शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों और विचारकों ने अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ शिक्षा को बहुविषयक मानते हैं, जबकि कुछ इसे अंत:विषयी क्षेत्र मानते हैं। रिचर्ड पीटर्स शिक्षा को एक क्षेत्र के रूप में समझने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि शिक्षा एक स्वायत्त अनुशासन नहीं है, बल्कि यह राजनीति की भांति एक क्षेत्र है, जहां इतिहास, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के विषयों का अनुप्रयोग है।

इस परिभाषा के आधार पर शिक्षा में दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विषयों के बुनियादी सिद्धांत पाए जाते हैं। शिक्षा अपने अंदर इन विषयों के सिद्धांतों को सम्मिलित करती है और अपने आप में ज्ञानमीमांसा का आधार बनती है।

शिक्षा तथा दर्शनशास्त्र–हम यह जानते हैं कि सभी विषयों की उत्पत्ति दर्शनशास्त्र से हुई है, अत: शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों और अभ्यास में दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध को देखा जा सकता है। दर्शनशास्त्र सिद्धांत और मार्ग प्रदर्शन प्रदान करता है। दूसरी ओर, शिक्षा उन लक्ष्यों और विचारों को प्राप्त करने का साधन बनती है। ये दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपक्षेत्र शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति होती है। 18वीं शताब्दी के आसपास प्रकृतिवाद का उदय हुआ। इसके प्रमुख विचारकों में से एक जीन जैक्स रूसो हैं, जिन्होंने 'प्रकृति की ओर लौटो' आदर्श वाक्य दिया। रूसो समाज को भ्रष्ट और राजनीतिक रूप से संचालित मानते थे, इसलिए उन्होंने यह मत पेश किया कि शिक्षा विद्यार्थियों की प्राकृतिक क्षमताओं के अनुरूप विकसित होनी चाहिए।

शिक्षा तथा समाजशास्त्र–शिक्षा समाज का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार बनती है। यह कुछ निश्चित प्रकार के विश्वासों, कौशलों और दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायक होती है, इसलिए शिक्षा समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने आपको समाज के सामाजिक राजनीतिक सिद्धांतों से पृथक् नहीं कर सकती।

विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समाज संबंधी अपने विचारों के आधार पर शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण किया गया तथा यह भी विचार किया गया कि यह किस प्रकार भविष्य के नागरिकों का प्रतिरूप तैयार करती है। इस अंतर्संबंध के परिणामस्वरूप 'शिक्षा का समाज क्षेत्र' क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। शिक्षा पर अपने विचार प्रकट करते

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

हुए दुर्खीम कहते हैं कि विद्यालय समाज का एक अभिन्न अंग है और शिक्षा का कार्य समाज के साझा सामाजिक मूल्यों को युवाओं के मन में बैठाना है। उनका कहना है कि समाज तभी जीवित रह सकता है, जब उसके सदस्यों में एकरूपता हो और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो बच्चों के मस्तिष्क में शुरू से ही सामाजिक जीवन की आवश्यक समानताओं को निश्चित करके एकरूपता लाती है और उसे पुनर्बलित करती है। अन्य समाजशास्त्रियों ने भी दुर्खीम की भांति समाज की सामाजिक कार्य प्रणाली, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, प्रजाति आदि के विषय में अध्ययन किया है। शिक्षा समाज के अभिन्न अंग के रूप में सदैव ही विश्लेषण का केंद्र बनी रही है।

शिक्षा और मनोविज्ञान–व्यवहार और अनुभव मनोविज्ञान के केंद्र-बिंदु माने जाते हैं। क्रो एवं क्रो ने मनोविज्ञान को 'मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों के अध्ययन' के रूप में परिभाषित किया है। वहीं स्किनर इसे 'व्यवहार और अनुभव' का विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहार को समझने में सहायक रहते हैं तथा इनसे इस बात का ज्ञान भी होता है कि विद्यार्थियों के मध्य सीखने को कैसे अधिकतम बनाया जा सकता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच के संबंध को 'शिक्षा का मनोविज्ञान' कहा जाता है। शिक्षा की यह शाखा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शैक्षिक विधियों का संश्लेषण करती है। मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास, सीखना, व्यवहारवाद के सिद्धांत आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ताकि यह पता किया जा सके कि शिक्षार्थियों की संभाव्य क्षमता को कैसे अधिकतम किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास को कैसे प्रत्यक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से कक्षा में सीखने के अवसरों को अधिकतम करने का प्रयास करने के साथ-साथ इस बात का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा कैसे विकसित की जा सकती है।

संवैधानिक प्रावधान तथा नीति निर्माण

भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में लेख और खंड हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा पर है और ये शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं। किसी भी समाज और देश के विकास के लिए शिक्षा को महत्त्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से भावी नागरिक तैयार होते हैं, इसीलिए यह किसी भी सरकार के लिए ध्यान का प्रमुख केंद्र रहती है। समय के साथ-साथ शिक्षा में नीतियां संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप विकसित होती हैं और शिक्षा इन प्रावधान या दायित्वों को पूर्ण करने का एक उपकरण बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसलिए नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे इस प्रकार की नीतियां तैयार करें, जिनका उद्देश्य इस प्रावधान को पूरा करना हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीति का सफल कार्यान्वयन किया जाना भी आवश्यक है। किसी भी नीति को लागू करने के लिए योजना, रणनीति एवं सही ढंग से प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है, इसलिए शिक्षा की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों या दायित्व को बनाने, ऐसे प्रावधानों को नीति में परिवर्तित करने और फिर नीति में निर्धारित चरणों को शैक्षिक व्यवस्था में लागू करने से शुरू होती है।

आजादी के पश्चात् हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को जोड़ा गया है, जो इस प्रकार हैं–

1. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार–अनुच्छेद 45
2. शिक्षा का अधिकार–अनुच्छेद 21
3. महिलाओं के लिए शिक्षा–अनुच्छेद 15(1)(3)
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना–अनुच्छेद 46
5. धार्मिक शिक्षा–अनुच्छेद 25, 18(1)(2)(3)
6. अल्पसंख्यक क्योंकि शिक्षा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा–अनुच्छेद 29
7. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार–अनुच्छेद 30

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009– 4 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है कि देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं–

- 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- निजी विद्यालयों को अपने विद्यालयों में समाज के कमजोर वर्ग और वंचित समूहों से कम-से-कम 25% बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इनकी शिक्षा के लिए धन सरकार देगी।
- बच्चे को प्रवेश देते समय कोई भी विद्यालय दान और प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लेगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।
- वे बच्चे जो आठवीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं, उन्हें एक प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
- इस प्रावधान के अनुसार निश्चित छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए।
- इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी विद्यालय पर जुर्माना लगाया जाएगा।

पाठ्यचर्या निर्माण तथा उसका हस्तांतरण

अधिगम को प्रबंधित करने के लिए पाठ्यचर्या बनाई जाती है, जो कि एक लिखित योजना है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत कक्षा की गतिविधियों का संपूर्ण कार्यक्रम, पाठ्य सहगामी कार्यक्रम के साथ ही संपूर्ण मूल्यांकन कार्यक्रम शामिल होता है। पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति लैटिन क्रिया currere से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। इस प्रकार यदि हम इसे परिभाषित करें तो पाठ्यचर्या एक लक्ष्य तक पहुँचने

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

का कोर्स है और यह लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक से लेकर सांस्कृतिक तक है। पाठ्यचर्या को विविध तरीकों से परिभाषित किया गया है। बीसवीं शताब्दी के एक प्रमुख पाठ्यचर्या सिद्धांतकार टाबा के अनुसार ''सभी पाठ्यचर्या चाहे उनका डिजाइन कुछ भी हो वह कुछ तत्वों से बनी होती है। एक पाठ्यचर्या में प्राय: उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों का विवरण होता है और इसमें परिणामों के मूल्यांकन की एक योजना भी सम्मिलित होती है।'' उसी समय के एक अन्य पाठ्यचर्या सिद्धांतकार टायलर ने पाठ्यचर्या को परिभाषित करते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों के सभी प्रकार के अधिगम के रूप में है, जो विद्यालय द्वारा अपने शैक्षिक पाठ्यचर्या के मुख्य तत्वों के विषय में बताती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम से पृथक् करने की जरूरत है। सामान्य भाषा में इन्हें एक-दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है, किंतु पाठ्यचर्या की अवधारणा व्यापक है, जिसमें पाठ्यक्रम की सरंचना और घटकों का मार्गदर्शन करना शामिल है। पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले सभी शिक्षक अनुभव शामिल होते हैं और पाठ्यक्रम के अंतर्गत अवधारणाओं की सूची दी जाती है, जिनके आसपास अनुभव अर्जित किए जा सकते हैं। शिक्षा पाठ्यचर्या के बिना एक असंगठित एवं लक्ष्यहीन उपक्रम बन जाएगा, इसलिए पाठ्यचर्या शिक्षा को एक अर्थ प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है।

पाठ्यचर्या निर्माण : मूलभूत नींव

दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक ये तीन पाठ्यचर्या के निर्माण के मूलभूत आधार हैं। इन्हें पाठ्यचर्या की नींव माना जाता है और पाठ्यचर्या की सामग्री एवं संगठन को यह रेखांकित करती है। शिक्षा में प्रकृति और मूल्य प्रणाली का मार्गदर्शन दार्शनिक नींव द्वारा किया जाता है। सामाजिक नींव, सामाजिक वातावरण, समाज एवं संस्कृति से संबंधित पाठ्यचर्या को प्रभावित करती है। शिक्षार्थियों और उनके सीखने के तरीके मनोवैज्ञानिक नींव पर आधारित होते हैं।

पाठ्यचर्या विकास कर्ताओं को निर्णय लेने में विश्वास अवधारणाओं और तर्कों को विकसित करने में दर्शन मूल्य सहायक होता है यह शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायता करता है, जो कि बाद में पाठ्यचर्या के उद्देश्य एवं संरचना को निर्देशित करता है। इस प्रकार दार्शनिक नींव उपयोगितावादी ज्ञान के साथ-साथ बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करती है, जिसका आधार तर्क, विश्लेषण, समस्या का समाधान, पूछताछ एवं मानसिक कुशलता है।

समाजशास्त्र के अंतर्गत शामिल हैं-समाज का अध्ययन सामाजिक घटना समाज की संरचना और सामाजिक अंतसंबंधों का अध्ययन। समाज का निर्माण व्यक्तियों के एक-दूसरे के साथ अंत:क्रिया के परिणामस्वरूप होता है और शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक बनाने में महत्त्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या निर्माण में सामाजिक कारक जरूरी है। दार्शनिक जॉन डीवी बच्चों की शिक्षा में समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं।

मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के मन और व्यवहार के विभिन्न पहलुओं से होता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों और उनमें विभिन्नताओं तथा शिक्षण अधिगम की प्रकिया को समझने में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान का संबंध 'मनुष्य कैसे सीखता है?' इस बात से है तथा पाठ्यचर्या का मुख्य ध्येय उसकी रचना करते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर विचार करना है। मनोविज्ञान के बहुत से सिद्धांत विद्यार्थी के संज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके व्यवहार पर वातावरण की भूमिका के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं तथा मानव क्षमताओं को प्रकट करते हैं। इसके अलावा पाठ्यचर्या शिक्षण एवं पाठ्यचर्या अधिगम के बीच संबंधों को मजबूत करने में मनोवैज्ञानिक नींव महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वे परस्पर संबंधित हैं।

पाठ्यचर्या हस्तांतरण के उपागम

नियोजित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। पाठ्यचर्या हस्तांतरण का अर्थ है-निर्मित उद्देश्य और उद्देश्यों से संबंधित पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन। प्रभावपूर्ण पाठ्यचर्या हस्तांतरण हेतु कुशल योजना, विचारों की स्पष्टता, पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की विधियों का ज्ञान, समूह कार्य, स्पष्ट संप्रेषण, किए गए कार्य की समीक्षा, शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न जरूरतों के साथ शिक्षार्थियों को संबोधित करना, समय का उपयुक्त प्रबंध तथा बैकअप योजना की आवश्यकता होती है।

पाठ्यचर्या हस्तांतरण के विभिन्न उपागम है, इसका पारंपरिक दृष्टिकोण विषय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित है, जो विषय-वस्तु के आधार पर सीखने पर जोर देता है। पाठ्यचर्या हस्तांतरण के नए दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण का स्थान ले रहे हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या, जो करके सीखने तथा जीवन से संबंधित करके सीखने पर जोर देती है।
- बाल या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या, इसमें शिक्षार्थी को प्राथमिकता दी जाती है। यह विद्यार्थियों के हितों और जरूरतों के साथ उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देती है।
- एकीकृत पाठ्यचर्या, जो कि विषय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और गतिविधि केंद्रित पाठ्यचर्या का सम्मिश्रण माना जाता है। यह विद्यार्थियों को उनके परिवेश को ढूँढ़ने तथा तलाशने के अवसर देकर उनके उच्च स्तर के चिंतन को प्रोत्साहित करने में सहायक होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है।

सूक्ष्म तथा वृहद् स्तर पर शोध

किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गहन खोज करने को शोध कहा जाता है। शोध प्रक्रिया में किसी समस्या या समस्या के कारण का सबसे उत्तम संभव समाधान खोजने हेतु संगठित और व्यवस्थित चरण शामिल होते हैं। हमारे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में शोध की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करके और नए ज्ञान की प्राप्ति करके ही हमारा समाज यहां तक पहुँचा है। बहुत से क्षेत्रों में अनुसंधान मानव-ज्ञान की वृद्धि करता है और विभिन्न मुद्दों को समझने का एक साधन प्रदान करता है। यह किसी भी समस्या के समाधान का पता लगाने का एक व्यवस्थित उपकरण है। अन्य विषयों की भांति शिक्षा क्षेत्र में भी अनुसंधान होते हैं। विभिन्न विचारक, शिक्षाविद् शैक्षिक अनुसंधान के विचार को भिन्न-भिन्न तरीकों से समझते हैं, जिसमें ज्यादातर विचारक शैक्षिक अनुसंधान को शैक्षिक

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

अभ्यासों की जाँच करने, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों पर अभ्यासों के प्रभाव और शिक्षा से संबंधित मुद्दों की जाँच करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु बहुत-से उपायों का सुझाव देती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- अनुसंधान शिक्षा प्रणाली के लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी घटना को समीक्षात्मक और व्यवस्थित रूप से समझने में सहायक होता है।
- वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके शिक्षा प्रणाली से संबंधित किसी भी घटना की व्याख्या या सूक्ष्म परीक्षण करना संभव होता है।
- शिक्षा अनुसंधान किसी भी व्यक्ति या समूह के अनुभवजन्य एवं अवलोकनीय दोनों प्रकार के अनुभवों पर आधारित होता है तथा आँकड़े एकत्रित करने में सहायक होता है।
- शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, दार्शनिक घटनाओं को प्रोत्साहित करता है।
- शिक्षा में अनुसंधान करने का उद्देश्य किसी नई समस्या का समाधान ढूँढ़ना, पुराने विचारों की समीक्षा करना, किसी भी घटना का आलोचनात्मक विश्लेषण करना या सिद्धांत निर्माण करना होता है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जिसमें मुद्दों की पहचान से लेकर निष्कर्षों के साथ निर्णय तक पहुँचना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के अनुसंधान होते हैं। गुणात्मक शोध के अंतर्गत आँकड़े एकत्र करना तथा उनका विश्लेषण का गैर-संख्यात्मक रूप में करना शामिल है। दूसरी ओर मात्रात्मक अनुसंधान संख्यात्मक आँकड़ों पर निर्भर करता है, जिसका प्रयोग विशेषताओं का वर्णन करने के लिए, संयोजन तथा सहसंबंध बनाने के लिए और परीक्षाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किया जाता है।

सूक्ष्म स्तरीय शोध

सूक्ष्म का अर्थ है–छोटे स्तर पर कार्य करना और शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म स्तरीय शोध का अर्थ है, जो विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर विद्यालय अभ्यासों को सूचित करने या सूक्ष्म स्तर पर आने वाली चुनौतियाँ और मुद्दों की जाँच करने के लिए किया जाता है। इस शोध के अंतर्गत व्यक्ति से व्यक्ति की बातचीत उनकी मान्यताओं और विचारों की परख की जाती है तथा व्यापक समाज बनाने हेतु विश्लेषण किया जाता है। इस शोध में केवल एक विशेष वर्ग और विद्यार्थियों के विशेष समूह को लिया जाता है, इसलिए इसे सूक्ष्म स्तरीय शोध कहते हैं और इसमें दिन-प्रतिदिन की विद्यालय क्रियाओं, अभ्यास और निर्देशों और अंत:क्रिया के सूक्ष्म अंतर को समझने का प्रयास किया जाता है। यह शोध व्यापक अभ्यासों तथा विन्यासों का विश्लेषण करने में सफल नहीं रहता, जो ऐसी घटनाओं या प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

वृहद् स्तरीय शोध

वृहद् का अर्थ है–बड़े स्तर पर या व्यापक स्तर पर कुछ करना। शिक्षा के क्षेत्र में वृहद् स्तरीय शोध का प्रयोग क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण को अच्छे ढंग से समझने, विश्लेषण करने और योगदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह शोध विद्यालय अभियानों के राजनीतिक और सामाजिक और समकालीन सरकार की प्राथमिकताओं को समझने में सहायक होते हैं तथा यह शैक्षिक नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म स्तरीय अनुसंधान में एकत्रित किए गए समंक वृहद् स्तर हेतु समंक एकत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। यह ऐसे स्थान पर कारगर सिद्ध होते हैं, जहां ऐसे शोधों के प्रभाव और परिणामों का अध्ययन करने हेतु विभिन्न समान प्रकार के सूक्ष्म स्तरीय शोधों का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में शोध की चुनौतियाँ

एक शोधकर्ता को शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह सूक्ष्म स्तर पर हो या वृहद् स्तर पर शोध करते समय बहुत-सी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति एक ऐसी ही चुनौती है। सार्वजनिक शिक्षा का नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, इसलिए छिपे हुए एजेंडे का परीक्षण करना या विद्यालय की संस्कृति के सामाजिक राजनीतिक अभ्यासों की आलोचना करना मुश्किल हो जाता है। एक अन्य चुनौती है–अनुसंधान करते समय पूर्वाग्रहों को कम करना। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के कुछ ऐसे पहलू हैं, जो पूरी तरह से अन्नवेषित हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों पर कार्य करना एक नए संघर्ष की भांति होता है, जिसमें मुद्दों पर साहित्य खोजना शोधकर्ता के लिए अत्यंत कठिन होता है।

गतिविधियाँ

प्रश्न 1. शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 के बारे में और पढ़िए तथा इस अधिनियम के बारे में अपनी समझ साझा करें। क्या आपको लगता है कि शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाने से भारत में विद्यालय छोड़ने वाले सभी मुद्दों को हल किया जा सकेगा। अपने उत्तर के लिए प्रासंगिक तर्क दीजिए।

उत्तर–देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE) लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट के इस प्रवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया, जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसी खामियाँ व चुनौतियाँ हैं, जिनके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन के लिए अग्रसक्रिय नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए स्कूलों को विश्वास में लेना एवं समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार, सरकार वंचितों एवं गरीबों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि इसका विस्तार करके परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। एक्ट में 3-6 आयु समूहों और 14-18 आयु समूहों को शामिल करने की आवश्यकता है।

www.neerajbooks.com